M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
27 SEP 2011
Inward No. 2272

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 20–25 / 2011 / बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक 23 / 09 / 2011

प्रति,

विशेष सहायक
माननीय मंत्रीजी,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार /
वाणिज्यिक कर / वित्त, भोपाल ।

विषय :– शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दि0 07.09.2011

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दि0 07.09.2011

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 07.09.2011 का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम0 एस0 सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20–25 / 2011 / बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक 23 / 09 / 2011

प्रतिलिपि :–

1 सचिव, म0प्र0शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2 मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।

3 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग / राजस्व विभाग / आवास एवं पर्यावरण विभाग / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग / किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग / उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग / सूचना प्रौद्योगिकी विभाग / वन विभाग / पर्यटन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

4 प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया बैठक का कार्यवाही विवरण संबंधित विभागों के ई–मेल एड्रेस पर भी मेल करने का कष्ट करें तथा निगम की वेबसाइड पर भी अपलोड करें ।

5 प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।

6 उद्योग आयुक्त, म0प्र0, भोपाल ।

7 स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग।

8 निज सहायक, सचिव, म0प्र0शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 07.09.2011

विषय : मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट, 2008 के अंतर्गत गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 07.09.2011 का कार्यवाही विवरण।

मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट, 2008 के अंतर्गत मेगा प्रोजेक्ट्स को सहायता/सुविधाओं के प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति को मंत्रिपरिषद की आर्थिक मामलों की समिति के समकक्ष अधिकार दिये गये हैं।

शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 07.09.2011 को माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित की हैसियत से भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट पर है। शीर्ष समिति द्वारा एजेण्डा आइटमवार लिये गये निर्णयों/दिये गये निर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है –

1. **<u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 1</u> – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2012 हेतु रणनीति तथा कार्य योजना** – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निवेश एवं निर्यात संवर्धन हेतु विभाग द्वारा नई रणनीति एवं कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें टेक्सटाइल, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, आटो मोबाइल, फार्मास्यूटिकल, अधोसंरचना विकास, सेवा क्षेत्र विशेषकर पर्यटन और खनिज आधारित उद्योगों का विशेष ध्यान रखा गया है। डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश, 2011–12 एवं 2012–13 के अंतर्गत राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलन/कार्यशाला/प्रदर्शनियां/व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के औद्योगिक संभावनाओं का प्रदर्शन किया जावेगा, जिसे श्रृंखलाबद्ध निरंतर आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश एवं राष्ट्र स्तरीय औद्योगिक संगठनों, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, राष्ट्रीय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स राज्य शासन के विभिन्न संबंधित विभाग, केन्द्र शासन एवं उद्यमियों के सहयोग से किया जावेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआईआई) के पूर्व अनुभव एवं संस्था की विशेषज्ञता/विशिष्टता को

ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रमुख ईवेंट पार्टनर (Event Partner) बनाया जाना प्रस्तावित है। इस संस्था को वाइब्रेंट गुजरात, कर्नाटक इन्वेस्टर्स समिट तथा प्रवासी भारतीय दिवस जैसे वृहद गतिविधियों को संचालित करने का अनुभव है। इस संस्था के देश एवं विदेश में कार्यालय स्थापित हैं, इनके माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न आयोजनों में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स (EPCs), एपीडा (APEDA), नेसकॉम (NASSCOM) आदि का भी सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं यथा PWC, E&Y, McKinsey&Co को नॉलेज पार्टनर तथा प्रिंट एवं मीडिया से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था Bloomberg, Economist आदि मीडिया पार्टनर के रूप में मान्य किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस तरह के आयोजन चूंकि सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं, अतः इनमें भण्डार क्रय नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है, जो सिर्फ वस्तुओं के क्रय से संबंधित हैं।

समिति द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2012 के लिये प्रस्तुत कार्ययोजना का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया कि कार्ययोजना में दर्शाए अनुसार सीआईआई एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के द्वारा इस कार्यक्रम का वित्तीय एवं वास्तविक क्रियान्वयन किया जावे। राज्य में पर्यटन विकास की अपूर्व संभावनाएं है तथा इस पर आधारित एक वृहद सम्मेलन का आयोजन पर्यटन उद्योग की भागीदारी से राज्य के किसी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में कराया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा राज्य स्तरीय आयोजनों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जावे कि राज्य के सभी हिस्सों का इनमें समावेश हो, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दृष्टिगोचर न हो। समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि लंबित भुगतान का निराकरण किया जावे तथा भविष्य में होने वाले आयोजनों हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधान सुनिश्चित किया जावे।

(**कार्यवाही** – वित्त विभाग / वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग)

2. **<u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 2</u> – प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव –** वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 25.07.2011 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में प्रदेश में प्रबल औद्योगिक संभावनाओं एवं उपयुक्त औद्योगिक भूमि की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में कुल 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिनमें कुल 2212 हेक्टेयर भूमि का

विकास किया जावेगा, 2154 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं शेष 58 हेक्टेयर निजी भूमि सम्मिलित की गई है, इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के माध्यम से किया जावेगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर कुल अनुमानित व्यय ₹ 865 करोड़ होगा, इस हेतु वित्त व्यवस्था राज्य शासन के अंश, केन्द्रीय योजनाओं से प्राप्त राशि, एकेव्हीएन के स्वयं के वित्तीय स्त्रोत तथा बैंक/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण से की जावेगी। ऋण की वार्षिक किश्तों का भुगतान राज्य शासन के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की आयोजना मद की सीलिंग ₹ 280 करोड़ है, जिसमें ₹ 130 करोड़ बीओआरएल के लिये प्रावधानित है एवं प्रचलित नियमों के तहत् आयोजना आकार का मात्र 25 प्रतिशत ही एन्यूटी (Annuity) दी जा सकती है।

शीर्ष समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में प्राथमिकता निर्धारित कर लेवें एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि निजी भूमि का अधिग्रहण न्यूनतम होवे। सीमित वित्तीय स्त्रोत को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में 10 उच्च प्राथमिकता वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का चिन्हन कर उनका विकास किया जावे एवं प्रस्तुत प्रस्ताव में ऐसे दो औद्योगिक क्षेत्र जिनमें निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है, को वर्तमान में लंबित रखा जावे। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, वित्त व्यवस्था विशेषकर कैश फ्लो का पुनर्निधारण किया जावे, जिससे इनकी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो सके। समिति द्वारा विभाग की आयोजना सीलिंग (Plan ceiling) बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

(**कार्यवाही** – वित्त विभाग/राजस्व विभाग/वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग)

3. <u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 3</u> – **मध्यप्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना उन्नयन कार्य** – शीर्ष समिति द्वारा समयाभाव के कारण इस विषय को समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(**कार्यवाही** – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग/ऊर्जा विभाग)

4. <u>नीतिगत निर्णय</u> – शीर्ष समिति द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों में रोज़गार उपलब्धता की व्यापक संभावना एवं संभावित पूंजी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए इनके संवर्धन के लिये कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए इन उद्यमों के लिये एक पृथक से विभाग गठित करने हेतु एक समग्र प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। समिति ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिये पृथक से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के भी निर्देश दिये।

सभी उपस्थित को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त हुई।

(पी.के. दाश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं
सदस्य सचिव,
शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति

परिशिष्ट

दिनांक 07.09.2011 को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित अधिकारियों की सूची :–

माननीय सदस्य –

1. श्री कैलाश विजयवर्गीय, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	–	सदस्य
2. श्री अवनि वैश्य, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन	–	सदस्य
3. श्री पी.के. दाश, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	–	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित अधिकारीगण –

1. श्री स्वदीप सिंह, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग
2. श्री जी.पी. सिंघल, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग
3. श्री मदनमोहन उपाध्याय, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग
4. श्री आर.के. स्वाई, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
5. श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग
6. श्री एस.पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
7. श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन
8. श्री विनोद सेमवाल, उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
9. श्री पी.के दास, प्रबंध संचालक, ट्राइफेक
10. श्री एस.के. मिश्रा, सचिव, मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन